मुकदमों का विवरण

कमलाकर बनाम।

कर्नाटक राज्य

(2011 की आपराधिक अपील No.1485) 12 अक्टूबर, 2023

[विक्रम नाथ और राजेश बिंदल**,** जे. जे.**]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित कर दिए हैं।498 ए और भारतीय दंड संहिता सी. भारतीय दंड संहिता सी. उचित संदेह से परे है।

दंड संहिता**, 1860 -**एस. **498** ए और एस**.306 –** अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शादी के दो साल बाद**,** तीनों अभियुक्तों**,** यानी अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने पीड़ित-मृतक के साथ दुर्व्यवहार और हमला करना शुरू कर दिया-अपीलार्थी पीड़ित को उसके माता-पिता के घर वापस ले आया-अपीलार्थी ने उसे अपने घर वापस ले जाने से इनकार कर दिया और मुखबिर से कहा कि वह फिर से शादी करेगा-दो महीने बाद**,** पीड़ित ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को जला दिया-पीड़ित की मृत्यु हो गई-अपीलार्थी को यू/एस. एस. दोषी ठहराया गया।**498** ए और एस।**306** भारतीय दंड संहिता सी.-स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःतत्काल मामले में, मृतक की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्षों के भीतर हुई है और इस तरह, मृतक को दिए गए उत्पीड़न के बारे में एक अनुमान होगा-भले ही यह खंडन करने योग्य अनुमान है, अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं-यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता ने पीड़ित को उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया और उसने कुछ दिनों बाद अपनी जान ले विचारण न्यायालय के लिए एक विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य है जिसमें उसने मृतक पर इस आधार पर हमला किया और दुर्व्यवहार किया कि वह घर का काम ठीक से नहीं कर रही थी और उसने मृतक के माता-पिता द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उसे अपने वैवाहिक घर वापस ले जाने से भी इनकार कर दिया था। 498 भारतीय दंड संहिता सी. 788 है।

787

/

बरकरार रखा गया-हालांकि, तत्काल मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और एस के संबंध में विधि के सावधानीपूर्वक पढ़ने पर।306 भारतीय दंड संहिता सी., मृतक और अपीलार्थी के बीच वैवाहिक कलह और खुद को जलाकर उसकी बाद की मृत्यु के बीच कोई निकट संबंध नहीं प्रतीत होता है-अपीलार्थी ने मृतक द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया है-इसलिए एस के तत्व के रूप में।306 भारतीय दंड संहिता सी. को वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है, अपीलार्थी यू/एस की दोषसिद्धि।306 भारतीय दंड संहिता को कायम नहीं रखा जा सकता है।[पैरा 7.2,7.3,8.6,8.7]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा **498** क**-**निम्नलिखित की प्रयोज्यताः

आयोजित किया गयाःभारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए उन पतियों या उनके रिश्तेदारों को दंडित करती है जो एक महिला के साथ क्रूरता करते हैं, तीन साल तक के कारावास की सजा और एक संभावित अपराध-"क्रूरता" में ऐसे कार्य शामिल हैं जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उत्पीड़न का उद्देश्य उसे या उसके परिवार को गैरकानूनी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा मांगों के लिए मजबूर करना है।[पैरा 7.1]

दंड संहिता**, 1860 -s.306** और **s.107 –** इसकी प्रयोज्यताः

आयोजित किया गयाःभारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 आत्महत्या के लिए उकसाने को दंडित करती है-इस धारा के अंतर्गत किसी पर आरोप लगाने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने आत्महत्या में भूमिका निभाई थी-विशेष रूप से, आरोपी के कार्यों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 में विस्तृत तीन मानदंडों में से एक के साथ संरेखित होना चाहिए-इसका मतलब है कि आरोपी ने या तो व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए प्रोत्साहित किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है, या इस तरह से काम किया (या कार्रवाई करने में विफल रहा) जिसके परिणामस्वरूप सीधे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।[पैरा 8.2]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618:[2001]

4 पूरक।एससीआर 247; एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626:[2011] 3 एससीआर

437; अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 707:

[2009] 15 एस. सी. आर. 836-निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2011 की आपराधिक अपील No.1485।

कमलाकर बनाम कर्नाटक राज्य 790

सी. आर. एल. में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 07.11.2007 के निर्णय और आदेश से। ए. 2002 का No.102।

रूपः

बसवप्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरुद्ध संगनेरिया, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

निशांत पाटिल, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, आयुष पी. शाह, विग्नेश आदित्य एस, मनेन्द्र पाल गुप्ता, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. यह अपील अभियुक्त द्वारा 7.11.2007 पर आपराधिक अपील संख्या 102/2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली है।

2. मामले के तथ्यः

2.1.यह मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत मृतक के वैवाहिक घर में क्रूरता और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से संबंधित है। मृतक, जो सूचना देने वाले की बेटी है, की शादी अपीलार्थी से साढ़े चार साल तक हुई थी, जब तक कि 1994 में उसकी मृत्यु नहीं हो गई। अपनी शादी के बाद, दंपति अपीलार्थी के माता-पिता के साथ चिंकेरा गाँव में अपने वैवाहिक घर में रहते थे।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शादी के दो साल बाद, तीनों अभियुक्तों, यानी अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने बच्चे को जन्म नहीं देने और घर और कृषि के काम ठीक से नहीं करने का आरोप लगाने के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार और हमला करना शुरू कर दिया।जब वह अपने माता-पिता के घर गई तो मृतक ने अपने पिता को भी यही बताया।मुखबिर, अर्थात मृतक के पिता ने अभियुक्त को सलाह दी और उनसे अनुरोध किया कि वे उसकी बेटी के साथ बुरा व्यवहार न करें।

2.2.घटना से लगभग दो महीने पहले, अपीलार्थी मृतक को लगभग 4-5 दिनों के लिए बॉम्बे ले गया और फिर उसे उसके माता-पिता के घर वापस ले आया।उसके लौटने पर, मृतक ने अपने माता-पिता को सूचित किया कि आरोपी ने बॉम्बे में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके परिणामस्वरूप, उसके पिता उसके घर गए।

/

अभियुक्त ने उनसे उसे अपने घर वापस ले जाने का अनुरोध किया।अभियुक्त ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मुखबिर से कहा कि वे अपीलार्थी से फिर से शादी करने जा रहे हैं क्योंकि वे मृतक के आचरण से खुश नहीं थे।मुखबिर अपने घर वापस आया और आरोपी की प्रतिक्रिया के बारे में मृतक सहित अपने परिवार को सूचित किया।

2.3.04.09.1994 को, लगभग 08.00 AM पर, सूचना देने वाला अपनी पत्नी और अन्य बच्चों के साथ अपनी कृषि भूमि पर चला गया।मृतक घर में अकेला था।उन्हें सुबह लगभग 10.00 बताया गया कि उनकी बेटी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को जला लिया। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मृतक ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा बढ़ते उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता के कारण खुद को जला लिया था।

2.4.05.09.1994 पर मृतक के पिता ने सी. आर. के आधार पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत हलीखेड़-बी पुलिस स्टेशन हुमनाबाद सर्कल में। चूंकि सूचना देने वाले की बेटी ने 06.09.1994 पर अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, इसलिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध को एफ़. आई. आर. में जोड़ा गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और जाँच पूरी होने के बाद, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।

3. अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एल. डी. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 11.12.2001 के आदेश के माध्यम से आरोपी नं. 2 और 3, अर्थात, अपीलार्थी के माता-पिता के विरुद्ध साक्ष्य की कमी के कारण।हालांकि, पति (आरोपी नं.1), अर्थात्, इसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और धारा306 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 2 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2000/-।एफ. आई. एन. ई. राशि का भुगतान न करने पर दो महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा।इसके अलावा, उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। 3000/- और किसी भी राशि का भुगतान न करने पर तीन महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा।दोनों सजाएँ एक साथ चलनी थीं।

4. इसके बाद, अपीलार्थी ने धारा 374 (2), दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आपराधिक अपील का नेतृत्व किया और सत्र न्यायाधीश के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया।कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 7.11.2007 दिनांकित आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से अपील को अनुज्ञात कर लिया।

जहां न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए और 376 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, वहीं उसने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के संबंध में सजा को संशोधित किया और इसे 7 साल से घटाकर 5 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।2 साल के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा। 2000/- हालांकि धारा 498 ए के अंतर्गत प्रतिबंध के लिए बनाए रखा गया था।5. अपीलार्थी ने कई आधारों पर वर्तमान अपील का नेतृत्व किया है, अन्य बातों के साथ-साथ, कि घटना से पहले पिछले दो महीनों से, मृतक अपने माता-पिता के घर में रह रही थी और अपीलार्थी के लिए मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि क्रूरता का आरोप किसी भी ठोस सबूत द्वारा समर्थित नहीं था और अपीलार्थी को उसी सबूत पर दोषी ठहराया गया था जिसके आधार पर उसके माता-पिता को बरी कर दिया गया था।

6. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हम समझते हैं कि तत्काल मामले में दो मुद्दे उठते हैं।

i) क्या अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया है?

(ii) क्या अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के अंतर्गत आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया है?

7. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए लागू।

7.1.भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए उन पतियों या उनके रिश्तेदारों को दंडित करती है जो किसी महिला के साथ क्रूरता करते हैं, तीन साल तक के कारावास और संभावित अपराध के दंड के साथ।"क्रूरता में ऐसे कार्य शामिल हैं जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उत्पीड़न का उद्देश्य उसे या उसके परिवार को गैरकानूनी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा मांगों के लिए मजबूर करना है।

7.2.तत्काल मामले में, मृतक की मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई है और इस तरह, मृतक के उत्पीड़न के बारे में एक धारणा होगी।भले ही यह खंडन योग्य धारणा है, अपीलार्थी ने अपने पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं।यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी मृतक को उसके माता-पिता के निवास से लगभग एक सप्ताह के लिए बॉम्बे ले गया था। उनके लौटने के कुछ ही समय बाद, उन्हें फिर से अपने माता-पिता के घर छोड़ दिया गया, और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी जान ले ली।

/

7.3.जहाँ तक अपीलार्थी के अपने माता-पिता के बरी होने के साथ समानता के तर्क का संबंध है, वही अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है।जैसा कि विचारण विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त नं. 2 और 3, अर्थात, अपीलार्थी के माता-पिता।हालाँकि, अपीलार्थी के लिए एक स्पष्ट कार्य है जिसमें उसने इस आधार पर मृतक पर हमला किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया कि वह घर का काम ठीक से नहीं कर रही थी और उसने मृतक के माता-पिता द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उसे अपने साथ अपने वैवाहिक घर वापस ले जाने से भी इनकार कर दिया। पीडब्लू 1 से 3 के साथ-साथ पीडब्लू 5 के साक्ष्य द्वारा इसका पूरी तरह से समर्थन किया गया था और विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।

7.4.इसलिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है।

8. भारतीय दंड संहिता सी. की सं0306 की प्रयोज्यता।

8.1.धारा 376 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है जिसमें जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे दस साल से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह दंडनीय भी होगा।इस प्रावधान को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो इस प्रकार है:

“107. किसी चीज़ को बढ़ावा देना।—एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है, जो-पहले।—किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है; या

दूसरा।—उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

तीसरी बात।—जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1.—एक व्यक्ति, जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस काम को करने के लिए उकसाया जाता है।

स्पष्टीकरण 2.—जो कोई भी, किसी अधिनियम के आयोग से पहले या उसके समय, 793 को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ भी करता है।

कहा जाता है कि उस अधिनियम को लागू करना, और इस प्रकार इसे लागू करने की सुविधा प्रदान करना, उस अधिनियम को करने में सहायता करता है। "

8.2.भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 आत्महत्या के लिए उकसाने को दंडित करती है। इस धारा के अंतर्गत किसी पर आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने आत्महत्या में भूमिका निभाई थी।विशेष रूप से, अभियुक्त के कार्यों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 107 में विस्तृत तीन मानदंडों में से एक के साथ संरेखित होना चाहिए। इसका मतलब है कि आरोपी ने या तो व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए प्रोत्साहित किया, दूसरों के साथ साजिश रची ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या इस तरह से काम किया (या कार्रवाई करने में विफल रहा) जिसके परिणामस्वरूप सीधे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।

8.3.रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **1** के मामले में**,** इस न्यायालय ने

"उकसाने" के विभिन्न अर्थों का विश्लेषण किया।उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“20. उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या "एक कार्य" करने के लिए प्रोत्साहित करना है।उकसावे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशिष्ट रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस मामले में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था।वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के कारण बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है। "

8.4.इस न्यायालय द्वारा एम. मोहन बनाम राज्य 2 में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 की अनिवार्यताओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया थाः

“43. यह न्यायालय चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) [(2009) 16 एस. सी. सी. 605:(2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 367] के पास उकसाने के इस पहलू से निपटने का अवसर था।न्यायालय ने "उकसाने" और "उकसाने" शब्द के शब्दकोश अर्थ पर विचार किया।न्यायालय ने राय दी कि ऐसा करने के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने का इरादा होना चाहिए।

1 (2001) 9 एससीसी 618 2 (2011) 3 एससीसी 626

उत्तरार्द्ध द्वारा एक अधिनियम।प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति दूसरों से अलग होती है।प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मसम्मान का अपना विचार होता है।इसलिए, ऐसे मामलों से निपटने के लिए किसी भी स्ट्रैटजैकेट सूत्र को निर्धारित करना असंभव है।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है।

44. प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल है।आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

45. विधायिका का इरादा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और इस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली। "

8.5.अमलेंदु पाल में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत मामला लाने के लिए आवश्यक सामग्री पर भी चर्चा की गई थी।

उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **3** निम्नलिखित अनुच्छेदों में:

“12. इस प्रकार, इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराने से पहले, अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़ित के साथ हुई क्रूरता और उत्पीड़न ने पीड़ित के पास उसके जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था, उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य का भी आकलन करना चाहिए।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए।केवल आरोपी की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया या विवश किया गया, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के संदर्भ में दोषसिद्धि पोषणीय नहीं है।

13. किसी मामले को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के दायरे में लाने के लिए आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध को अंजाम देने के लिए,

3 (2010) 1 एससीसी 707 795

कमलाकर बनाम कर्नाटक राज्य [विक्रम नाथ, जे.]

जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने आत्महत्या के लिए उकसाने या कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी।इसलिए, उक्त अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा उकसाने के कार्य को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे आई. पी. सी. की धारा 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सके।

8.6.तत्काल मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के संबंध में विधि को ध्यान से पढ़ने पर, मृतक और अपीलार्थी के बीच वैवाहिक कलह और खुद को जलाकर उसकी बाद की मृत्यु के बीच कोई निकट संबंध नहीं प्रतीत होता है। अपीलार्थी ने मृतक द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया है।

8.7.इसलिए चूंकि मामले में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के तत्वों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा306 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

9. नतीजतन, अपीलार्थी के नेतृत्व में अपील की अनुज्ञात आंशिक रूप से दी जाती है।10. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी को उक्त अपराध से बरी कर दिया जाता है।हालांकि, धारा 498 ए के अंतर्गत दोषसिद्धि को माना जाता है।हमें सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी पहले ही 7 महीने की कैद से गुजर चुका है।हम भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498 ए के अंतर्गत 2 साल की सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि में संशोधित करते हैं।

11. अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है।जमानत बांडों का भुगतान किया जाता है।12. लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

अंकित ज्ञान